भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 166

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों/प्रबंध निदेशकों के वेतनों का विनियमन</u>

***166. डा. के. वी. पी. रामचन्द्र राव :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि शेयर बाजार की सूची में सम्मिलित कई कंपनियों अपने शेयरधारकों को लाभांश नहीं दे रही हैं, जबकि घाटे में चलने के बावजूद, वे संप्रवर्तक निदेशकों तथा प्रबंध निदेशकों को बहुत अधिक वेतन दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार संप्रवर्तक निदेशकों/प्रबंध निदेशकों के वेतन संबंधी व्यय की सीमा तय करके तथा वेतन में संशोधन को लाभ अर्जित होने वाले वर्षों तक सीमित करके उनके वेतन को विनियमित करने पर विचार करेगी; और

(ग) क्या सरकार कंपनियों द्वारा उन छोटे शेयरधारकों को न्यूनतम लाभांश का भुगतान कराए जाने के संबंध में विचार करेगी जिनके लिए लाभांश ही आय का मुख्य स्रोत है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

राज्य सभा में दिनांक 15.12.2015 को सूचीबद्ध कम्पनियों के निदेशकों/प्रबंध निदेशकों के वेतन का विनियमन करने संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 166 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): पब्लिक सूचीबद्ध कम्पनी सहित किसी पब्लिक कम्पनी द्वारा अपने निदेशकों, प्रबंध निदेशकों तथा पूर्णकालिक निदेशकों तथा प्रबंधकों को देय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक का नियमन कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची-V के साथ पठित धारा 197 से 200 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत किया जाता है। किसी भी वित्तीय वर्ष के संबंध में किसी भी कम्पनी के द्वारा अपने सभी निदेशकों को दिया जाने वाला समग्र पारिश्रमिक उस वित्तीय वर्ष के निवल लाभ के 11 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। हानि होने एवं अपर्याप्त लाभ होने की स्थिति में यह पारिश्रमिक बगैर केन्द्र सरकार के अनुमोदन के दिया जा सकता है बशर्ते कि यह निर्धारित सीमा के भीतर हो और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में उल्लिखत शर्तों के अनुरूप हो। यदि कम्पनी ऐसे प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही भुगतान किया जा सकता है।

(ग): ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****